


1950

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438 |
No. 438 |

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 1995/कार्तिक 12, 1917
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 1995/KARTIKA 12, 1917

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

[शहरी विकास विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1995

सा. का. नि. 712(E)—दिल्ली विकास प्राधिकरण [विकसित नजूल भूमि निपटान] नियमावली, 1981, के नियम 2(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि नरेला और रोहिणी फेज-I, II में वैकल्पिक प्लॉटों के आर्बिटन हेतु ली जाने वाली पूर्व-निर्धारित दरे वर्ष 1992-93 के लिए रूपर 1650-65 प्रति वर्गमीटर होगी।

[संख्या जे. 13036/38/95-डी. डी. 1ए]
आर. के. सिंह, निदेशक

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

(Department of Urban Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1995

G.S.R. 712(E).—In exercise of powers conferred by Rule 2(1) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land)

Rules, 1981, the Central Government hereby notifies that the pre-determined rates chargeable for allotment of alternative plots in Narela and Rohini Phase-III would be Rs. 1650.65 per sq. mtr. for the year 1992-93.

[No. J-13036/38/93-DDIA]
R. K. SINGH, Director